हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व वाद/आवेदन संख्या अपील 1/18 अनवान जोगेन्द्र कुमार बनाम सरपंच ग्राम पंचायत राणीगांव

नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर राणीगांव पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 01-5-18 को अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर राणीगांव पर पत्रावली पेश हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

आदेश

01.05.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत बमुकाम अटल सेवा केन्द्र राणीगांव पर पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। उत्तरदातागण उपस्थित। उभय पक्षों को सरपंच ग्राम पंचायत बलाऊ एवं हनुमानराम मेहरा एएओ पंचायत समिति बाडमेर द्वारा पहचान दी गई। अपीलार्थी का कथन है कि सरपंच ग्राम पंचायत राणीगांव द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 258 पारित करने से पूर्व मृतक खातेदार कोहला पुत्र तेजा जाति रबारी निवासी बलाऊ के विधिक वारिसान की जांच किये बिना पारित कर दिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि मृतक खातेदार के जायज वारिस अपीलार्थी एवं उत्तरदाता संख्या 02 से 04 है। अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलार्थी मृतक खातेदार स्वर्गीय कोहलाराम का विधिक वारिस होते हुए उसका नाम नामान्तकरण में अंकित नही कर विधिक भूल की गई है, इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 258 पर पारित आदेश ग्राम पंचायत राणीगांव निरस्त योग्य है।

अपील पंजीयन कर उत्तरदातागण को नॉटिस जारी किये गये। उत्तरदातागण ने उपस्थित होकर अपीलार्थी जोगेन्द्र को मृतक खातेदार स्वर्गीय कोहलाराम का जायन्दा पुत्र होने से खातेदारी भूमि में अपना नाम विधिक वारिस होने से अंकित करने का अधिकारी होना स्वीकार किया। मजमे आम में उपस्थित ग्रामीण जनता से जानकारी ली गई, जिन्होने अपीलार्थी को स्वर्गीय

जोगेन्द्र

रूपों
(रूपों देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत बलाऊ
पं. स. बाडमेर

(2) जोगाराम

रूपाराम (3)

(4) अ.नि. अमरतादेवी

रूपों
(रूपों देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत बलाऊ
पं. स. बाडमेर

पहचानकर्ता
(हनुमानराम मेहरा)
AAO पं.स. बाडमेर
4/P बलाऊ
9414534385

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

PTO

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील संख्या 01/2018 अनवान जोगेन्द्र बनाम ग्राम पंचायत राणीगांव
	कोहलाराम का जायन्दा पुत्र होना स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत राणीगांव द्वारा आदेश जो नामान्तकरण संख्या 258 पर पारित किया गया को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को आदेश दिये जाते है कि मृतक खातेदार कोहलाराम पुत्र तेजाराम जाति रबारी के वैद्य वारिसान् अपीलार्थी जोगेन्द्र पुत्र कोहलाराम एवं उत्तरदाता जोगाराम, सरूपाराम पिसरान कोहलाराम एवं अमरती देवी पत्नी कोहलाराम जाति रबारी निवासी बलाऊ के नाम नये सिरे से नामान्तकरण पारित कर समस्त राजस्व अभिलेख में अमल दरामद सुनिश्चित करावें। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उप खण्ड अधिकारी बाडमेर

Scanned by CamScanner